# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 (चैत्र 2, 1932)

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 113 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 123 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. अध्यक्षीय व्यवस्था

#### विशेषाधिकार भंग की सूचना पर व्यवस्था

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा भोपाल के एक समाचार पत्र में विधायकों संबंधी असत्य जानकारी के प्रकाशन पर दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आसंदी से व्यवस्था की मांग की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस संबंध में प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

### 3. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य ने सिलवानी में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को मानदेय न दिए जाने,
(2) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत सूनावर में मलजल निकासी हेतु पाइप लाइन न डालने,
(3) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट उप यंत्रियों को पदोन्नति दी जाने,
(4) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने छतरपुर की चन्दौरा जनपद चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने तथा
(5) कुँवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य ने छतरपुर जिले की चन्द्रनगर पंचायत में मजदूरों का भुगतान न होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) पटल पर रखा.

### 5. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति के विवरण पटल पर रखे गये :-

(1) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री
(2) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा

## 6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

| क्रमांक | शासकीय विधेयक | आवंटित समय |
|---|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) | 30 मिनिट |
| 2. | मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) | 30 मिनिट |
| 3. | मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) | 30 मिनिट |
| 4. | मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) | 30 मिनिट |
| 5. | मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) | 1 घण्टा |
| 6. | मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) | 2 घण्टे |
| 7. | मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) | 1 घण्टा |

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री रामलखन सिंह, राधेलाल बघेल, मनीराम धाकड़, राजकुमार उरमलिया एवं रणजीत सिंह गुणवान, सदस्यगण ने शिवपुरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित न किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(2) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य ने प्रदेश में फसल बीमा योजना की चयनित सूची में अनियमितता होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री एदल सिंह कंसाना, अजय सिंह एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(4) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, रत्नेश सॉलोमन एवं आरिफ अकील, सदस्यगण ने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के नाम पर राशि वितरण में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

कुँवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री एवं डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

**सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए.**

## 8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति, ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 1 से 26वां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

## 9. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे जाना

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री द्वारा अपनी एवं अपने परिवार की संपत्ति का विवरण पटल पर रखा गया.

## 10. याचिकाओं की प्रस्तुति

**अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार-**

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की -

(क) मंदसौर नगर के वार्ड क्रमांक-12 प्रेम कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) भोपाल नगर के त्रिलंगा शाहपुरा की शराब एवं मीट की दुकान को अन्यत्र हटाये जाने,

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) नगर पालिका क्षेत्र झिर की बगिया स्थित शासकीय भूमि के नाले पर से अतिक्रमण हटाये जाने,

(ख) मुख्यालय के आंतरिक मार्ग को बनाये जाने,

(ग) मुख्यालय से रिवरिया नाका तक फोर लाईन मार्ग बनाये जाने, तथा

(घ) मुख्यालय में नवीन कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) तहसील लहार के ग्राम मछण्ड में कॉलेज खोले जाने,

(ख) तहसील लहार के ग्राम बिरखड़ी में इण्टर कॉलेज खोले जाने,

(ग) मुरार ग्वालियर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(घ) सेवढ़ा से दतिया मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा

(ङ) मौ से गोहद तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) तहसील बहोरीबंद में एम.पी.डब्ल्यू.एस आर. योजना के अन्तर्गत जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने,

(ख) ग्राम-कनकी, तिलगवां, मुरावल एवं बांधा आदि ग्रामों के लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाये जाने,

(ग) ग्राम भैंसागढ़ जंगली नाले पर स्टापडेम निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम-ढुढरी एवं खरखरी में बिजली प्रदाय किये जाने,

(ङ) ग्राम-अमरगढ़ में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(च) ग्राम-देवगांव, सिमरा एवं मुरपाद आदि ग्रामों में गरीबी रेखा कार्ड बनाये जाने,

(छ) ग्राम-हथकुरी में शासकीय हाई स्कूल खोले जाने,

(ज) ग्राम सिमरा में मिडिल स्कूल खोले जाने,

(झ) ग्राम देवगांव में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(ञ) ग्राम पटोहा के शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा

(ट) ग्राम तिलगवां माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम-भीकमपुर में 33/11 के.व्ही.एम. सब स्टेशन निर्माण किये जाने,

(ख) नागदा में उर्दू माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम सिमरोल में ग्राम स्वजल धारा योजना लागू किये जाने,

(घ) ग्राम डबरी की प्राथमिक शाला को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम खमरिया में बड़ी पानी की टंकी निर्माण किये जाने,

(च) खाचरोद की उर्दू प्राथमिक विद्यालय को उर्दू माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा

(छ) ग्राम रामातलाई में 33/11 के.व्ही.एम. सब स्टेशन निर्माण किये जाने,

(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम निचरौली चौराहा से ग्राम बहादुरपुर तक सड़क बनाये जाने,

(7) सुश्री मीना सिंह, सदस्य की उमरिया जिले के मानपुर नगर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने, एवं

(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भोपाल शहर के कोलार स्थित दानिश गृह निर्माण समिति के आवास क्रमांक डी.के. 4/206 से डी.के. 4/223 तक सड़क का डामरीकरण किये जाने

**संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं.**

## 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्रीमती नीता पटेरिया
(3) श्री रामलखन सिंह

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री आरिफ अकील
(6) श्री पारस दादा सकलेचा
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.31 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 (चैत्र 4, 1932) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 23 मार्च, 2010**